न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,(नवगठित) हरदोई।

सत्र परीक्षण सं0–276/16

सरकार.....बनाम.....अगर मोहम्मद आदि।

दिनांकः 10.02.17

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी।

पत्रावली आज प्रार्थी/वादी इकलीस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 12ब अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 पर आदेश हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 319 दं0प्र0सं0 में कथन किया गया है कि वादी मुकदमा इकलीश ने दिनांक 02.04.15 को अभियुक्त अगर मोहम्मद उर्फ अगरू, नौशाद, समशाद, आजाद एवं वसीम पुत्र इद्दू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। वसीम को छोड़कर सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तदोपरांत वादी मुकदमा व गवाह इमरान ने साक्ष्य न्यायालय में दी है। वादी मुकदमा व गवाह की प्रतिपरीक्षा भी हो चुकी है। वादी मुकदमा व गवाह के साक्ष्य व प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजदगी के आधार पर अभियुक्त वसीम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित की जा चुकी है। अतः अभियुक्त वसीम पुत्र इद्दू को धारा 319 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत तलब किए जाने याचना की गयी है। उक्त प्रार्थनापत्र विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा सबमिट किया गया है।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति 14ब अभियुक्त अगर मोहम्मद आदि की ओर से प्रस्तुत की गयी है। आपत्ति में कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमे में वादी इकलीस, इबरान ने अगर मोहम्मद को मारापीटा था जिमसें अगर मोहम्मद का पैर भी टूट गया था। जिसकी रिपोर्ट अगर मोहम्मद द्वारा अभियुक्त इकलीस आदि के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। उक्त मुकदमे से बचने के लिए पेशबंदी में इकलीस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

पत्रालवी का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी मुकदमा इकलीश ने दिनांक 02.04.15 को समय 21.15 बजे अभियक्तगण अगर मोहम्मद उर्फ अगरू, नौशाद, शमशाद, आजाद एवं वसीम के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अगर मोहम्मद उर्फ अगरू, नौशाद, शमशाद व आजद के विरूद्ध धारा 323,336,436,504,506 भा0दं0सं0 में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। अवर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए दिनांक 18.05.16 को पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी तथा अभियुक्त वसीम के विरूद्ध आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। उसके विरूद्ध विवेचक द्वारा नामजदगी गलत पाए जाने पर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद पत्रावली सत्र सुपुर्द होने के पश्चात इस न्यायालय को प्राप्त हुयी।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) व अभियुक्तगण के विद्वान

अधिवक्ता को सुनने के पश्चात आरोप विरचित किया गया। तत्पश्चात अभियोजन की ओर से साक्षी पी0 डब्लू0–01 वादी मुकदमा इकलीश एवं पी0 डब्लू0–02 इमरान को परीक्षित कराया गया है।

साक्षी पी0 डब्लू0–01 वादी मुकदमा इकलीश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.04.15 को शाम के सात बजे का समय था मुल्जिमान अगर मोहम्मद, नौशाद, शामशाद तथा आजाद व इन लोगों के रिश्तेदार वसीम उर्फ इद्दू निवासी टुरमुकी थाना मझिला मुझे गाली गलौज करने लगे उस समय मैं अपने दरवाजे पर मौजूद था। उक्त मुल्जिमान कच्ची देशी शराब बनाने का काम करते हैं। उसका गंदा पानी मेरे दरवाजे में बहता है। इसलिए मैंने इन लोगों को शराबा बनाने से रोका था इसलिए मुल्जिमान मुझे गालियां दे रहे थे। मैंने गाली देने से उपरोक्त मुल्जिमान को मना किया इसी बात से नाराजा होकर मुल्जिमान नौशाद, शामशाद, आजाद तथा वसीम ने अगर मोहम्मद से कहा कि इस साले के घर में आग लगाकर घर जला दो तब अगर मोहम्मद ने दौड़कर मेरे घर में छप्पर में आग लगा दी थी। मेरे भाई इमरान व मेरी पत्नी अनीता ने शोर किया तथा आग लगाने से रोका व आग लग जाने पर आग बुझाने का प्रयास किया तब सभी मुल्जिमान अपनी छत पर चढकर गाली गलौज करते हुए कहने लगे अगर किसी ने आग बुझाने का प्रयास किया तो उसको जान से मार देंगे और ईंटा पत्थर चलाने लगे। ईटा पत्थर से मेरी पत्नी के भी चोटे आ गयी थी। आग लग जाने से मेरे घर का काफी सामान जल कर राख हो गया था। साक्षी पी0 डब्लू0–02 मोहम्मद इकलीस ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में पी0 डब्लू0–01 वादी मुकदमा के कथनों को साबित किया है। उक्त दोनों साक्षियों की जिरह का गहनता से अवलोकन करने से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे अभियुक्त वसीम को तलब किए जाने का आधार पर्याप्त न हो।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के परिशीलन से कथित घटना कारित करने में अभियुक्त वसीम की भी संलिप्तता पायी जाती है तथा अभियुक्त वसीम को धारा 336, 323, 436, 504, 506 भा0 दं0 सं0 में तलब किए जाने पर्याप्त आधार है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 12 ब स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/वादी इकलीस की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 12 ब अंतर्गत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त वसीम को धारा 336,323,436,504,506 भा0 दं0 सं0 में तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। पत्रवली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक 28.02.17 को पेश हो।

(राजेश कुमार–V)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ 0 टी0 सी0(नवगठित)
हरदोई।